

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 24.03.2026 को थाना कोतवाली नगर एण्टी रोमियो टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर स्कूल / कालेज , मन्दिर ,मस्जिद व चौराहो पर चेकिंग किया गया जिसमें 02 पहिया वाहन पर तेज रफतार ,मनचले लड़के व स्टण्टबाजी करते हुये मोटरसाइकिल सवारों, स्कूल की लड़कियों को परेशान करने वाले तथा विद्यालय के आस-पास स्टंट करने वालो की चेकिंग की गयी । तीन सवारी बैठकर तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले तथा स्कूल के आसपास आने जाने वाली लड़कियों को देखकर हरकते करने वालो के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर द्वारा 20 मोटरसाइकिलों के साथ 01 ई-रिक्सा को सीज किया गया तथा 105 वाहनों का चालान किया गया व सार्वजनिक स्थाना पर दारु पी रहे कुल 16 लोगों पर 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी ।

यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी धनराशि 19,723/- (उन्नीस हजार सात सौ तेईस) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी धनराशि 19,723/- (उन्नीस हजार सात सौ तेईस) पीडित मोहित कुमार पुत्र चंद्रजीत निवासी फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की कुल 19,723 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

1. क0आ0 संजय गुप्ता

2. म0आ0 शालिनी मौर्य
3. म0आ0प्रिया सिंह

जॉब दिलाने के नाम पर फ्राड की गयी धनराशि 13,000/- (तेरह हजार) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये जॉब दिलाने के नाम पर फ्राड की गयी धनराशि 13,000/- (तेरह हजार) रुपये पीडित मोहम्मद शादान पुत्र सेराज अहमद नि0 छीतनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की कुल 13,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 27,500/- (सत्ताइस हजार पांच सौ) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 27,500/- (सत्ताइस हजार पांच सौ) रुपये पीडित साहिल मौर्या पुत्र दिनेश कुमार मौर्या पता खुखुन्दवा थाना कोपागंज जनपद मऊ की कुल 27,500 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर

अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामकर्ता-

1. प्राभारी निरीक्षक महोदय श्री रवीन्द्रनाथ राय थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. नोडल अधि० उ०नि० उमाशंकर सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. सहायक नोडल अधिकारी उ०नि० प्रियंका सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. कम्प्यूटर आपरेटर अभिजीत पटेल थाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. म०का० सविता मौर्या थाना कोपागंज जनपद मऊ।
6. म०का० उर्वशी शुक्ला थाना कोपागंज जनपद मऊ।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 25.03.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर डोमनपुरा से मु०अ०स० 38/26 धारा 69, 352, 351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त बृजमोहन पुत्र स्व० जयप्रकाश राम निवासी डोमनपुरा चमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण

1. बृजमोहन पुत्र स्व० जयप्रकाश राम निवासी डोमनपुरा चमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 38/26 धारा 69, 352, 351(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० कैलाश जायसवाल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. हे०का० राजेन्द्र सिंह बादल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. हे०का० दीपक कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत एण्टीरोमियो टीम द्वारा महिलाएं एवं बच्चियों से छींटाकशी व अश्लील गाने का प्रयोग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.03.2026 को थाना कोतवाली नगर एण्टीरोमियो पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत एण्टीरोमियो चेकिंग के दौरान महिलाएं एवं बच्चियों से छींटाकशी व अश्लील गाने का प्रयोग करने वाला 01 नफर रिजवान अहमद पुत्र बदरे आलम निवासी बुनकर कालोनी थाना सरायलखन्सी को मील रोड़ परदहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 86/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पत्ता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रिजवान अहमद पुत्र बदरे आलम निवासी बुनकर कालोनी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 86/26 धारा 296 बीएनएस

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 25.03.2026 को थाना कोपागंज एण्टी रोमियो टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर स्कूल / कालेज , मन्दिर ,मस्जिद व चौराहो पर चेकिंग किया गया जिसमें 02 पहिया वाहन पर तेज रफतार ,मनचले लड़के व स्टण्टबाजी करते हुये मोटरसाइकिल सवारों, स्कूल की लड़कियों को परेशान करने वाले तथा विद्यालय के आस-पास स्टंट करने वालो की चेकिंग की गयी । तीन सवारी बैठकर तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले तथा स्कूल के आसपास आने जाने वाली लड़कियों को देखकर हरकते करने वालो के विरुद्ध थाना कोपागंज द्वारा

16 दोपहियां वाहनों का चालान व 01 वाहन सीज किया गया तथा 21 शोहदो का बन्धपत्र भरवाकर हिदायत दिया गया ।

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तो को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व ₹ 16000 के अर्थदंड से हुए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिट्रिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 25-03-2026 को मु0अ0सं0 76/2002 धारा 307, 323, 324, 326, 504, 506 भादवी का अभियोग थाना कोपागंज जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. रविंद्र पुत्र बसंत 2. चंद्रदेव पुत्र सुन्नर 3. विजेंद्र पुत्र दशरथ समस्त निवासीगण भदसा मानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं ₹ 16000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री राजेश पाण्डेय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिट्रिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयन्त तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।